

आजाद सिपाही

कलम कलम बढ़ाये जा

हेमंत सोरेन की बेल को
चुनौती देनेवाली इडी
की याचिका खारिज

आवेदन फॉर्म नि:शुल्क

किसे निलेगा लाभ...

- ▶ झारखण्ड की निवासी
- ▶ 21 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु
- ▶ आधार से जुड़ा सिंगल (एकल) बैंक खाता
- ▶ जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकती हैं, उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है
- ▶ मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड
- ▶ झारखण्ड राज्य के दाशन कार्डधारी परिवार*
- * पीला दाशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)
- * गुलाबी दाशन कार्ड (पूर्वविकास प्राप्त गृहस्थ कार्ड)
- * सफेद दाशन कार्ड (K-Oil दाशन कार्ड)
- * हरा दाशन कार्ड

आंगनबाड़ी सेविका,
सहायिका द्वारा घट-घट
जाकर आवेदन फॉर्म
नि:शुल्क दिया जायेगा

3 से 10 अगस्त तक
विहित प्रपत्र में आवेदन जमा
करने हेतु विशेष कैम्प का
आयोजन:

- ▶ ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत भवन
- ▶ शहरी क्षेत्र में संबंधित जिला उपायुक्त द्वारा चयनित केंद्र



हर बहना को
हर साल
₹12 हजार

खुरियों का उपहार

21 से 50 वर्ष तक
की उम्र की बहनों
को हर महीने

₹1000
की सम्मान दारि

हर महीने की
15
तारीख
तक
बैंक खाते में दारि

हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

विशेष कैम्प के बाद भी अपना आवेदन नजदीकी प्रजा केंद्र में कभी भी जमा कर सकते हैं

राजनीतिक नहीं, सामाजिक समरस्या है छुसपैठ

- तीन दशक से जारी है संथाल परगना क्षेत्र में बांगलादेशियों की घुसपैठ
 - पहली बार 2001 में राज्य के गृह विभाग ने सरकार के संज्ञान में यह मामला लाया था
 - इसके बाद 2009 में गृह विभाग ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी
 - झारखण्ड के हित के खिलाफ है यूनियन टेरिटरी की मांग करना

झारखण्ड में आसन्न विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों राज्य में घुसपैठियों का मुद्दा बेहद गरम है। दो दिन पहले पाकुड़ में हुई घटना और उसके बाद आदिवासी युवाओं का सड़क पर उतरना इसी मुद्दे का एक पहलू है। पाकुड़ की घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गयी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे अपने-अपने नजरिये से देख रहा है, राजनीति कर रहा है। लेकिन यह हकीकत है कि झारखण्ड में घुसपैठियों की समस्या राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक है। यह समस्या हेमंत सोरेन की सरकार के समय उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि तीन दशक से भी अधिक समय से यह पैदा हुई है। झारखण्ड की भौगोलिक संरचना ही ऐसी है कि यहाँ के 24 में से 22 जिले जहाँ दूसरे राज्यों की सीमा से भिन्न हैं, वहीं संयुक्त परगना का साहिबगंज और पाकुड़ जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। राज्य में घुसपैठ की समस्या नयी नहीं है, बल्कि अलग राज्य बनने

से एकीकृत बिहार के समय से ही इस तरफ सरकारों का ध्यान खींचा गया था। झारखण्ड बनने के बाद पहली बार 2001 में घुसपैठ सामने आयी थी, जब जनगणना के दौरान साहिबगंज में एक वर्ग विशेष की गयी थी। झारखण्ड अलग बार राज्य के गृह विभाग ने कराया। सबसे पहले 2001 संज्ञान में या मामला लाया गया था।

आजाद सिपाही विशेष

A photograph showing the back view of several men wearing traditional Indian clothing (kurta-pajama sets) and turbans, walking away from the camera. To the right of the image, there is an orange silhouette of the state of Jharkhand. Inside this silhouette, the word "झार" (Jharkhand) is written in red.

गोइडा
पाकुड़
दुमका
जामताड़ा

रखंड

अवैध बांग्लादेशी
की एंट्री

अधिकारी ने कहा था कि पहले रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग जैसे शहर सांप्रदायिक ट्रूटिकोण से संवेदनशील माने जाते थे, लेकिन अब तो पाकुड़, गोड्डा, लोहरदगा, सिमटेंगा और बरही जैसे शहरों में तनाव पसरने लगा है। अधिकारी की इस चेतावनी और झारखंड में घुसपैठ की समस्या को समझने और उसके समाधान के लिए सबसे पहले यह मानना होगा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या है।

एसा धुसपठ का सुध नहीं हो गयी। फिर झारखंड का गठ हुआ, लेकिन इस मुद्दे को गंभीरता से लिया वीर नहीं गया। पहली बार

यह एक हकीकत है कि बांग्लादेशी हों या फिर रोहिंग्या मुसलमान, भारत के विभिन्न भागों में दोनों की घुसपैठ गंभीर समस्या है। देश का शायद ही कोई राज्य हो, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग अवैध रूप से ना बसे हों। राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उठता ही रहता है और स्वाभाविक रूप से झारखण्ड भी इससे अछूता नहीं है। राज्य का प्रायः हर जिला कमोबेश इससे प्रभावित है।

है, जब वहाँ के छात्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लिखित रूप से प्रशासन के सामने इस समस्या को उठाया है। इस पर राजनीति नहीं, बल्कि सभी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। इसके लिए सिर्फ हेमंत सरकार को दोषी ठहराना व्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि जिस सीमा से बांलादेशी घुसपैठिये घस्ते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सवाल सीमा की सुरक्षा करनेवालों से भी है कि जब वे दावा करते हैं कि सुरक्षा इतनी है कि परिदा भी पर नहीं मार सकता, फिर ये घुसपैठिये कैसे घुस जाते हैं। ऐसा बिहार के कुछ जिलों में भी हुआ है और पश्चिम बंगाल में भी। घुसपैठ की पीड़ा असम के लोग भी झोल चुके हैं। अगर इस पर सभी दलों ने वितन-मनन नहीं किया और समाधान नहीं निकला, तो क्या हो सकता है इसका सामाजिक असर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संघाददाता राकेश सिंह।

**2018 में हुई थी
एनआरसी लागू
करने की सिफारिश**

इस समस्या पर नियंत्रण के लिए 2018 में असम की तर्ज पर झारखंड में नेशनल रजिस्टर ॲफ स्टाइज़ंस (एनआरसी) लागू करने की सिफारिश पर राज्य पुलिस ने बल दिया था। राज्य पुलिस मुख्यालय ने एनआरसी की जरूरतों और बांग्लादेशियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी थी। इसमें

सियासत नहीं,
समाधान जरूरी

ज्ञारखंड में घुसपैठ की समस्या पर सियासत उचित नहीं है। राजनीतिक दलों द्वारा एक-दूसरे पर दोषारोपण करने से इसका समाधान नहीं हो सकता। हकीकत यही है कि ज्ञारखंड की यह समस्या पांच साल की नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी हर राजनीतिक दल को लेनी होगी। केंद्र सरकार को भी मामले की संवेदनशीलता को समझना होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ रोकने की पहली जिम्मेवारी उसकी ही है। इसके बाद राजनीतिक दलों के गांव स्तर के कार्यकर्ताओं को किसी बाहरी व्यक्ति के गांव में बसने पर ध्यान

देना होगा, ताकि समय पर इसकी सूचना अधिकारियों को दी जा सके। इसके लिए एक सशक्त अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि लोग जागरूक हो सकें। जब तक घुसपैठ की समस्या को सामाजिक नजरिये से नहीं देखा जायेगा, इसका समाधान नामुमकिन है। यही नहीं, झारखण्ड के कुछ जिलों और बंगाल बिहार के कुछ जिलों को मिला कर यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग भी गलत है। झारखण्ड ऐसे ही दबा

यह सही है कि घुसपैठिये नागरिकता प्रमाण पत्र हासिल करक्या गया था। हुआ है, जरूरत इस वृहद करने की है, न कि यूनियन टेरिटरी बनाने की।

पाकुड़ : टाउन थाना इंचार्ज और एएसआइ निलंबित

दो महीने में पेसा नियमावली को अधिसूचित करे सरकारः हाइकोर्ट

थाना के अन्य अफसर और कर्मी जो उस दिन की घटना में थे, उन्हें हटा दिया गया है। डीआइजी ने बताया कि छात्रों की लिखित शिकायतों की एक-एक बिंदु पर जांच होगी। किसी ने भी कानून हाथ में लेने या तोड़ने का प्रयास किया तो उन पर कार्रवाई होगी। एक सवाल पर डीआइजी ने बताया कि अपहरण के बिंदु पर भी जांच चल रही है। इस संबंध में जांच पूरी होने के पश्चात आगे कुछ कह पायेंगे। डीआइजी के साथ जांच के दौरान एसपी प्रभात कुमार, एसडीपीओ दयानंद आजाद मौजूद भी थे।

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। पेसा कानून को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य में अब तक पेसा कानून लागू नहीं किये जाने पर हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने राज्य सरकार को दो महीने में पेसा नियमावली को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच सहित अन्य की ओर से हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। प्रथियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता तान्या सिंह ने बहस की। हाइकोर्ट के एकिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई हुई।

क्या है पेसा नियमावली

पंचायत उपबंधन (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार) अधिनियम महत्वपूर्ण कानून है, जो 24 दिसंबर, 1999 को पारित किया गया था। इसके उद्देश्य कुछ अपवादों और संसोधनों के साथ संविधान के भाग नौ उल्लिखित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना है। झारखंड में पेसा कानून को लागू करने के लिए इससे संबंधित

नियमावली का ड्राफ्ट पंचायती राज विभाग ने तैयार कर लिया है। इस नियमावली में ग्राम सभाओं को और शक्तिशाली और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है। प्रस्तावित नियमावली के तहत ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता मानकी मुँडा आदि पारंपरिक प्रधान करेंगे। ग्राम सभा की सहमति के बिना सरकार जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकेगी। आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री मामले में भी ग्राम सभा की सहमति की बाध्यता होगी। इस नियमावली में पुलिस की भूमिका निर्धारित करते हुए किसी की गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर

गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी ग्राम सभा को देने की बाध्यता तय की गयी है। ग्राम सभा को आदिवासियों की जमीन वापस करने का अधिकार भी दिया गया है। साथ ही ग्राम सभा में अन्न कोष, श्रम कोष, नकद कोष आदि गठित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिनमें दान, प्रोत्साहन राशि, दंड शुल्क, वन उपज, रॉयल्टी, तालाब, बाजार, सेरात आदि से मिलने वाली राशि जमा की जायेगी। ग्राम सभा में अधिकतम 10 हजार रुपये तक की राशि रखने की अनुमति होगी। इससे अधिक की राशि बैंक खाते में जमा की जायेगी।

